संख्या- 40 /2023 / 2684 /चार-2022-110 (विविध)/ 2017

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन थारू जनजाति संग्रहालय के आन्तरिक साज-सज्जा, एक्जीबिट्स एवं प्रदर्शन हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1006/उ0प्र0सं0नि0-5(86) /2019-20 दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 तथा निदेशक, संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या- 2661/सं0नि0-6(संग्रहालय) /18-19 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन थारू जनजाति संग्रहालय के आन्तरिक साज-सज्जा, एक्जीबिट्स एवं प्रदर्शन हेतु रू0 714.98 लाख (रू0 सात करोड़ चौदह लाख अट्ठानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 695.00 लाख (रू0 छः करोड़ पिचानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना में प्रस्तावित सी0सी0टी0वी0, नेटवर्किंग एण्ड टेक्नोलाजी वर्क (रू0 88.41 लाख), फर्नीचर (रू0 36.27 लाख), साउण्ड सिस्टम (रू0 11.94 लाख), वाल एल0ई0डी0 स्क्रीन 110 इंच- 1 नग (रू0 18.00 लाख) एवं गैलरी हेतु - 4 नग एल0ई0डी0 वाल स्क्रीन- 65 इंच (रू0 10.00 लाख) अनुमन्य नहीं किया गया है। प्रमुख सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए इन कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत (अधिकतम आंकलित लागत सीमान्तर्गत) अनुमोदित की जायेगी एवं तद्नुसार प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी।

(3) प्रयोजनान्तर्गत आंतरिक, अग्रभाग और भूनिर्माण कार्य को आदिवासी कला और संस्कृति के संदर्भ में लिया गया है। विभिन्न प्रकार के स्थानीय कच्चे माल (जूट, बांस, एफआरपी, खुरदरा प्लास्टर, मिट्टी, भित्तिचित्र कार्य आदि) का उपयोग किया जायेगा। इन कार्यों का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित एल0ई0डी0 लाइट्स, कलाकृतियों आदि कार्य के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त की जायेंगी। निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(6) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियां सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति/संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति/संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(12) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800-अन्य व्यय -42- पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़ाकोला उन्नाव में स्मृति भवन आदि का निर्माण -24- वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 195.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800-अन्य व्यय -09- भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र -24- वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 500.00 लाख कुल रू0 695.00 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-10- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

संख्या- 40 /2023 / 2684 (1) /चार-2022-110 (विविध)/ 2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A004-20222023-2684-Char-2022-110-Vividh-2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन थारू जनजाति संग्रहालय के प्रदर्शन में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048000900 (भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	15,00,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ मात्र	15,00,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	2022-2023
092	4202048004200 (पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला- उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,75,00,000 रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	2,75,00,000 रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	1,95,00,000 रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र	1,95,00,000 रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	2022-2023
कुल					₹ 6,95,00,000	₹ 6,95,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061000 (जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,63,00,000 रुपये दो करोड़ त्रेसठ लाख मात्र	6,95,00,000 रुपये छह करोड़ पंचानबे लाख मात्र	6,95,00,000 रुपये छह करोड़ पंचानबे लाख मात्र	9,58,00,000 रुपये नौ करोड़ अट्ठावन लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 6,95,00,000	₹ 6,95,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1006/उ0प्र0सं0नि0-5(86) /2019-20 दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 तथा निदेशक, संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या- 2661/सं0नि0-6(संग्रहालय) /18-19 दिनांक 30 नवम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन थारू जनजाति संग्रहालय के प्रदर्शन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 695.00 लाख (रू0 छः करोड़ पिचानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-63/2019/607/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 10 मार्च, 2019 शासनादेश संख्या-86/2019/780/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 25 मार्च, 2019, शासनादेश संख्या-2260/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019, शासनादेश संख्या-73/2020/611/चार-2020-110(वि0)/2017 दिनांक 17 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-58/2021/654/चार-2021-110(वि0) / 2017 दिनांक 15 मार्च, 2021 तथा शासनादेश संख्या-150/2021/1608/चार-2021-110(वि0)/2017 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संस्कृति/संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति/संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति/संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800-अन्य व्यय -42- पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़ाकोला उन्नाव में स्मृति भवन आदि का निर्माण -24- वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 195.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800-अन्य व्यय -09- भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र -24- वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 500.00 लाख कुल रू0 695.00 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-10- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संख्या:RE-budget-1-299-E-7-189-X-2022-23-दिनांक:27-01-2023

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा

अनु सचिव

संजय शुक्ला

उप सचिव

संख्या : / , दिनांक- फरवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव